प्रेस नोट
दिनांक 18.01.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा कूटरचना करके 2147.78 लाख रुपये की जालसाजी व गबन करने के वांछित आरोपी (तत्कालीन बैंक प्रबंधक) को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 044/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 351(3) बीएनएस व मु0अ0सं0 045/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पवन कुमार पाल (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक) पुत्र स्व0 राम केवल पाल निवासी कृष्णानगर कालोनी जनौरा परिक्रमा मार्ग एनएसएस विद्यालय नाका जनौरा फैजाबाद को उसके मनकापुर बस अड्डा से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 02.01.2026 को भुवन चन्द्र सती, सहायक महाप्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि० शाखा गोण्डा, पता लाला छोटे लाल का हाता, स्टेशन रोड, महरानीगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि गोण्डा शाखा में ऋण वितरण के दौरान गंभीर अनियमितता एवं धोखाधड़ी की गयी है। उल्लेख किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक में इम्पैनल्ड चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा कराये गये स्पेशल ऑडिट की अन्तरिम रिपोर्ट एवं दिनांक 02.01.2026 की गठित कमेटी की संस्तुति के परीक्षण में प्रकाश में आया कि अभियुक्त पवन कुमार पाल (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक) द्वारा बैंक के अन्य कार्मिकों व खाताधारकों के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग से गिरोह बनाकर बैंक की नीति एवं आरबीआई/नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध ऋण स्वीकृति व वितरण किये गये। जांच में यह भी पाया गया कि अभियुक्त द्वारा स्वयं, अपने परिवारजनों एवं गिरोह के सदस्यों को बिना पात्रता एवं आवश्यक अभिलेखों के ऋण वितरित किये गये तथा फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर बैंक के 205 खाताधारकों के ऋण व बचत खातों एवं 05 आन्तरिक खातों से कुल रु0 2147.78 लाख की धनराशि का विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दुर्विनियोग/अपहरण किया गया। जिसमें 05 आन्तरिक खातों से अनधिकृत रूप से रु0 46.13 लाख की धनराशि निकाल कर गबन किया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम आरोपी अभियुक्त पवन कुमार पाल व अन्य की तलाश व गिरफ्तारी हेतु भ्रमण शील थी। आज दिनांक 18.01.2026 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाये गये अभियुक्त पवन कुमार पाल (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक) उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि० शाखा गोण्डा को मनकापुर बसअड्डा से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. पवन कुमार पाल (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक) पुत्र स्व0 राम केवल पाल निवासी कृष्णानगर कालोनी जनौरा परिक्रमा मार्ग एनएसएस विद्यालय नाका जनौरा फैजाबाद।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0 044/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 351(3) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0 045/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 पिन्टू कुमार यादव चौकी प्रभारी महराजगंज मय हमराह
02. हे0कां0 रवीश कुमार गौड़
03. कां0 अमित तोमर

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 18.01.2026

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 1120 ग्राम अवैध गांजा के साथ किया गया गिरफ्तार -

कार्यवाही-
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व भ्रमण के दौरान बस अड्डा के निकट प्रमोद तिवारी पुत्र सियाराम तिवारी ग्राम भरिया लवेदपुर पोस्ट जयप्रभायाम जानकी नगर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1120 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
आज दिनांक 29.09.2025 को उ0नि0 रामविलास यादव थाना धानेपुर मय हमराह क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे, इसी दौरान सूचना पर पुलिस द्वारा बुटहना रोड तिराहा के पास से अभियुक्त प्रमोद तिवारी पुत्र सियाराम तिवारी ग्राम भरिया लवेदपुर पोस्ट जयप्रभायाम जानकी नगर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1120 ग्राम गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 14/2026 धारा 8/20 NDPS Act का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. प्रमोद तिवारी पुत्र सियाराम तिवारी ग्राम भरिया लवेदपुर पोस्ट जयप्रभायाम जानकी नगर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-
01- मु0अ0सं0 14/2026 धारा 8/20 NDPS Act थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-
01- 1120 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 रामविलास यादव
02. का0 सत्यनारायन यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 18.01.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 01 वांछित हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, निशानदेही पर आलाकत्ल 'प्लास्टिक की रस्सी' बरामद-

कार्यवाही-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-20/2026 धारा 103(1) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित आरोपी हत्याभियुक्त राजकुमार सोनकर पुत्र तिलकराम सोनकर निवासी ग्राम टपरा कालोनी मौजा रामापुर भगाही थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को उमरिया हैड़िल तिराहा मोड़ पर थाना नवाबगंज गोण्डा से गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल प्लास्टिक की रस्सी बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 16.01.2026 को श्रीमती अनीता पत्नी शिव जनम ग्राम मैनपुर डड़वा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज पर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी 21 वर्षीय पुत्री पूजा जिसकी शादी करीब 01 माह पूर्व ही हुई थी। शादी से पूर्व उनकी पुत्री पूजा और अभियुक्त राजकुमार सोनकर पुत्र तिलकराम सोनकर बातचीत करते थे। शादी होने बाद राजकुमार मृतका पूजा को उसके साथ शादी न करने को लेकर लगातार धमकी देता था। दिनांक 14.01.2026 को वादिनी की पुत्री ससुराल से आयी थी, और दिनांक 15.01.2026 को वह घर से खेत जाने के लिए निकली थी। जिसके बाद वापस नहीं आई और अगले दिन सुबह पूजा का शव उनके खेत के पास मिला। वादिनी द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री पूजा को अभियुक्त राजकुमार ने ही गला कस कर मार दिया है। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 20/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम राजकुमार सोनकर पुत्र तिलकराम सोनकर निवासी ग्राम टपरा कालोनी मौजा रामापुर भगाही थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा पंजीकृत किया गया। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुँच कर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कराया गया। आज दिनांक 18.01.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त राजकुमार सोनकर पुत्र तिलकराम सोनकर को उमरिया हैड़िल तिराहा मोड़ पर थाना नवाबगंज गोण्डा से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल प्लास्टिक की रस्सी बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबंगज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय गोण्डा रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया गया कि वह मृतका पूजा से दो साल पहले से प्यार करता था उसने मुझे धोखा दे दिया था। 15.01.2026 को उसने पूजा को उसे गांव के खेत में बुलाकर गन्ने के खेत में प्लास्टिक की रस्सी से उसका गला घोंट कर हत्या कर दी थी और उसके बाद उस प्लास्टिक की रस्सी को गन्ने के खेत से बाहर निकलते समय फेंक कर वहाँ से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. राजकुमार सोनकर पुत्र तिलकराम सोनकर निवासी ग्राम टपरा कालोनी मौजा रामापुर भगाही थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

सम्बन्धित अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 20/2026, धारा 103(1) बीएनएस थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-
1. अभय सिंह थानाध्यक्ष नवाबगंज
2. व0उ0नि0 श्री विश्वास कुमार चतुर्वेदी,

3. उ0नि0 उमेश सिंह
4. हे0कां0 रोशन सिंह
5. कां0 अजय कुमार यादव
6. कां0 विनय कुमार
7. म0कां0 अर्चना
8. म0कां0 आस्था गौतम

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 18.01.2026

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा लूट की झूठी सूचना देने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर लूट की झूठी सूचना देने के आरोपी विनय कुमार मिश्रा पुत्र राम लाल निवासी ग्राम गौहानी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 13/14.01.2026 को रात्रि करीब 11:30 बजे आवेदक अशोक सिंह (प्रधान) ग्राम दुर्जनपुर घाट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज में सूचना दी गयी कि दुर्जन पुर बाजार मे उनका शराब का ठेका हैं जिसमे सेल्समैन विनय कुमार मिश्रा पुत्र राम लाल निवासी ग्राम गौहानी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा दिन भर की बिक्री का पैसा करीब 25-30 हजार रुपये लेकर घर जा रहा था कि रास्ते मे दुर्जनपुर घाट से एक किलोमीटर तरबगंज रोड पर मोटर साइकिल सवार तीन लोग पैसा छीन कर भाग गए हैं । सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना तरबगंज मय पुलिस बल के साथ घटनास्थल दुर्जनपुर घाट पर शीघ्र पहुंचकर घटना के सम्बन्ध में गहन जांच-पड़ताल, सीसीटीवी फुटेज व आस पास के लोगों से पूछताछ करने पर शक हुआ, तो सेल्समैन विनय कुमार मिश्रा उपरोक्त से हिकमत अमली व कड़ाई से पूछताछ की गई तो विनय कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि वह ऑनलाईन गेम खेलता है जिसमें वह काफी रुपये हार चुका है । उसी हार की रकम की भरपाई करने के लिए उसने दुकान के गल्ले से रुपये निकाल कर सीएसपी पर जमा करके आनलाईन अपने खाते में मंगा लिया, तथा उक्त रुपये पुनः गेम में हार गया । अधिक रुपये की हानि की भरपाई करने के लिए झूठी शिकायत दर्ज करायी थी जिससे दुकान मालिक को यह रुपया न देना पड़े। सेल्समैन उपरोक्त को झूठी सूचना देने पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. विनय कुमार मिश्रा पुत्र राम लाल निवासी ग्राम गौहानी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. प्रभारी निरीक्षक थाना तरबगंज मय टीम

नोटः गोण्डा पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की झूठी सूचना देना दंडनीय अपराध है। पुलिस द्वारा प्रत्येक सूचना की गंभीरता से जांच की जाती है तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।